"Faith has four pillars: patience, certainty, justice and struggle."

# इस्लामी जिहाद

विचारक: सैयद अब्दुल्लाह तारिक़
लेखक: मौहम्मद जुबैर

इस्लाम की दृष्टि में तो वह आस्तिक ही नहीं जिसके हाथों और जुबान से उसके पड़ोसी सुरक्षित न हों, यह ईशदूत हज़रत मुहम्मद स. का फ़तवा है।

मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम अतिवाअदयों द्वारा

समान रूप से दुर्व्याख्यित

# इस्लामी जिहाद

(मूल पुस्तक 'आओ जिहाद करें' का संक्षिप्त रूपान्तर)

रौशनी पब्लिशिंग हाउस

बाज़ार नसरुल्लाह ख़ाँ, रामपुर (उ० प्र०)

## इस्लाम में बदला लेने का सिद्धान्त :

"यदि तुम **बदला लो तो बस उतना ही जितना तुम्हें नुक़सान पहुँचाया गया हो और यदि धैर्य से काम ले सको तो यह धैर्य रखने वालों के लिये** (ईश्वर की दृष्टि में) **बेहतर है**। धैर्य से काम लो और तुम्हारा धैर्य रखना अल्लाह ही से संबद्ध है। उनपर दुखी न हो और उनकी चालों पर तंग दिल न बनो "।
(कु. 16:126-127)

"**जिस किसी ने अपने ऊपर अत्याचार के बाद बदला लिया, उन पर कोई दोष नहीं**। दोष तो उन पर है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और जो पृथ्वी पर अनाधिकारिक उत्पात करते हैं। उनके लिये पीड़ामय यातना है **परन्तु जिसने धैर्य रखा और क्षमा कर दिया तो निस्सन्देह यह बहुत दृढ़ निश्चय का काम है**।" (कु. 42:41-43)

"बुराई और भलाई समान नहीं हैं। **बुराई को भले व्यवहार द्वारा दूर करोगे** तो यह होगा कि जिस से तुम्हारी दुश्मनी थी वह भी अभिन्न मित्र बन जाएगा। **परन्तु यह उसी से होसकता है जो धैर्यवान है और यह स्तर उसको ही प्राप्त होता है जो बड़ा भाग्यशाली है**"। (कु. 41:34-35)

## जिहाद :

जिहाद अरबी शब्द 'जेह्द' से बना है जिसका अर्थ है 'ईशमार्ग में अम्न या शान्ति के लिये निरन्तर कोशिश'। जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले और आतंक फैलाने वाले, मुजाहिदीन नहीं बल्कि आतंकवादी

होंगे। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है। **लड़ाई के लिये कुरआन में 'क़िताल' शब्द का प्रयोग हुआ है।**

"वह (ईमान वाले) उस जान को जिसे ईश्वर ने सम्मानित ठहराया है। बिना कारण हलाक नहीं करते और न बलात्कार करते हैं और जो कोई ऐसा करेगा, किये का दण्ड पायेगा। (क. 25:68)

"जो किसी की हत्या करे, बिना इसके कि उसने किसी की हत्या की हो अथवा पृथ्वी पर उत्पात किया हो, मानो उसने समस्त मानव जाति की हत्या की और यदि किसी ने किसी की जान बचाई तो यह ऐसा है जैसे उसने समस्त मानव जाति को जीवन दिया। इन लोगों के पास हमारे संदेश वाहक हमारे संदेश लेकर आये परन्तु इनमें इसके उपरान्त भी ऐसे हैं जो सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं"। (कु. 5:32)

"हे ईमान वालो, अल्लाह के लिये पूर्ण नियमित एवं **न्याय के साक्षी बनो और किसी वर्ग की शत्रुता भी तुम्हें इस बात पर मजबूर न करे कि तुम भी (उसके साथ) ज़यादती करने लगो।** न्याय से काम लो क्योंकि यह धर्मनिष्ठा के अति समीप है और अल्लाह की अप्रसन्नता से बचते रहो। अल्लाह को तुम्हारे सभी कर्मों की ख़बर है"। (कु. 5:8)

शान्ति के लिये निरन्तर कोशिश में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आसकती हैं जब शस्त्र उठाना ज़रूरी हो जाए। **यदि शान्ति के मार्ग में परिस्थितिवश कभी क़िताल (संग्राम) आवश्यक होजाए तो जिहाद वह तभी हो सकता जब सशस्त्र जिहाद की सभी शर्तें पूरी हों।**

# युद्ध की परिस्थितियाँ :

कुरआन **केवल तीन परिस्थितियों में** शस्त्र उठाने की बात करता है।

1. **आत्मरक्षा के लिये (अनुमति) :**

"जिन लोगों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी गई उन्हें अनुमति दी जाती है (कि वह भी मुक़ाबले में उठ खड़े हों) क्योंकि उन पर अत्याचार हुआ। निस्संदेह ईश्वर उनकी सहायता करने में समर्थ है। (यह इजाज़त उनके लिये है) जिन्हें अनाधिकारिक उनके घरों से निकाला गया, केवल इस कारण से कि वह कहते थे कि ईश्वर ही हमारा पालनहार है..."। (कु. 22:39-40)

2. **अत्याचार व दमन की समाप्ति के लिये हमला (आदेश) :**

"और ईश्वर के मार्ग में युद्ध न करने में तुम को क्या आपत्ति हो सकती है जब कि बहुत से दबे कुचले पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे (असहाय होकर) प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे हमारे पालनहार इस बस्ती से हमको निकाल ले जिसके रहने वाले बड़े अत्याचारी हैं और अब तू किसी को अपनी ओर से हमारा संरक्षक बना कर खड़ा कर दे और हमारे लिये अपनी ओर से किसी विशेष सहायक को भेज दे। (कु. 4:75)

3. **संधि के उल्लंघन के समय (परिस्थिति-अनुसार लड़ने या न लड़ने का अधिकार) :**

"ईश्वर और उसके दूत की ओर से उन मुशरिकों (ईश्वर के साझी ठहराने वालों) से संधि-विच्छेद का एलान है जिन से तुम्हारी संधि

थी। ... सिवाय उन मुशरिकों के जिन से तुम्हारी संधि हुई और उन्हों न तुमसे अनुबंध का उल्लंघन न किया हो और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की हो, तो उनसे निश्चित समय तक समझौते की पाबन्दी करो। ईश्वर अवज्ञा से बचने वालों को पसन्द करता है"। (कु. 9:1, 4)

**किसी देश को जीतने, अपनी सत्ता स्थापित करने, सीमाएं बढ़ाने या इस्लामी शासन लागू करने के लिये शस्त्र उठाने की इजाज़त नहीं है।**

## धर्म-विस्तार के लिये बल-प्रयोग का निषेध :

"हम ने उसका (इन्सान) मार्ग दर्शन किया (अब यह उसका निर्णय है कि) चाहे वह कृतज्ञ बने या अकृतज्ञ"। (कु. 76:3)

"...यदि ईश्वर चाहता तो तुम सब को एक धर्म-समूह बना देता परन्तु (उस ने चाहा कि) जो (आदेश) उस ने तुम को दिया है, उस में तुम्हारी परीक्षा ले..." (कु. 5:48 )

"और यदि तुम्हारा पालनहार (ज़बरदस्ती करना) चाहता तो जितने लोग पृथ्वी पर हैं सब ईमान ले ही आते तो **क्या अब तुम लोगों पर ईमान वाले बनने के लिये बल-प्रयोग करोगे**"? (कु. 10:99)

"तमु उपदेश किये जाओ तुम्हारा काम केवल उपदेश देना है। **तुम उन पर दरोग़ा तो नहीं हो**" (कु. 88:21,22)

"यह लोग जो कुछ (तुम्हारे विषय में) कहते हैं उसे हम ख़ूब जानते हैं और **तुम उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो।** (तुम्हारा कार्य तो यह है कि) जो व्यक्ति हमारे प्रकोप से डरता है उसको कुरआन सुना-सुनाकर समझाते रहो" (कु. 50:45)

"अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता से और अच्छे उपदेश द्वारा आह्वान करो और **उनसे सभ्यतापूर्वक ही तर्क करो"** (कु. 16:125)

कुरआन तो अपने अनुयायियों से यहाँ तक कहता है कि प्रमाणों से समझाने के बाद भी जो इनकार करें उनसे अन्त में कह दो :

"...तुम्हारे लिय तुम्हारा धर्म मेरे लिये मेरा धर्म" (कु. 109:6)

**इस्लाम उन सभी देशों में भी फैल रहा है जहाँ मुसलमान अल्पसंख्या में हैं जिस में शक्तिशाली, परिपूर्ण और विकसित देश शामिल हैं। आज भी इस्लाम-विरोधियों के अत्यन्त प्रबल प्रचार तन्त्र के बावजूद विश्व में सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म इस्लाम ही है।** यदि इस्लाम के तलवार से फैलने में तथ्य होता तो स्पेन और भारत दोनों देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक न होते। दोनो ही देशों में **800** वर्ष मुसलमान शासकों का राज्य रहा। भारत में इस्लाम औरंगज़ेब के बल से नहीं, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिशती अजमेरी और अन्य मुस्लिम सूफ़ियों के प्रेम प्रचार से फैला जिन से आज भी करोड़ों ग़ैर मुस्लिम प्रेम करते हैं।

## सशस्त्र जिहाद की 'घोषणा के अधिकार' के नियम :

मुस्लिम धर्म विद्वानों के भारी बहुमत की सम्मति है कि —

- **जिहाद की घोषणा का अधिकार केवल इस्लामी राज्य को है।**
- **किसी व्यक्ति, गुट, जत्थे या समूह द्वारा युद्ध का एलान जिहाद नहीं होगा।**

- **इस्लामी राज्य के सिवाय किसी देश का युद्ध घोषित करना भी जिहाद नहीं होगा।**

याद रहे कि इस्लामी राज्य उस देश को नहीं कहते जहाँ मुस्लिम बहुसंख्या में हों अपितु वह राज्य जहाँ इस्लामी विधान व व्यवस्था लागू हो। उदाहरण के लिये, पाकिस्तान सहित विश्व के सभी उलेमा (मुस्लिम धर्म विद्वानों) की सर्वसम्मति है कि पाकिस्तान इस्लामी राज्य नहीं है।

## छापा मार (गोरीला) युद्ध की इजाज़त नहीं, ऐलान और समय देना ज़रूरी है :

और यदि तुम्हें किसी क़ौम से विश्वासघात की आशंका हो तो तुम बराबरी के आधार पर (अर्थात ऐलान करके और उन्हें समय-अवधि का अल्टीमेटम देकर) ऐसे लोगों के साथ हुई संधि को उनके आगे फेंक दो। निश्चय ही अल्लाह को विश्वासघात करने वाले प्रिय नहीं हैं (कु. 8:58)

अल्लाह और रसूल की ओर से विरक्ति का ऐलान है उन मुश्रिकों की और जिन से तुम ने संधि की थी (और अन्हों ने सधि की ख़िलाफ़वर्ज़ी की)। उन से कह दो कि तुम चार महीने और इस धरती पर घूम फिर लो। (इस के बाद तुम्हें युद्ध का सामना करना होगा) .... सिवाय उन मुश्रिकों के जिन से तुम्हारी संधि हुई और उन्हों ने तुमसे अनुबंध का उल्लंघन न किया हो और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की हो, तो उनसे निश्चित समय तक समझौते की पाबन्दी करो। ईश्वर अवज्ञा से बचने वालों को पसन्द करता है"। (कु. 9:1,2, 4)

क्षमा करें, इस्लामी जिहाद और चाणक्य की रणनीति में नैतिकता का बहुत अन्तर है। जिहाद मात्र युद्ध नहीं है।

## इस्लाम में युद्ध की आचार संहिता :

1. **युद्ध के समय आचार संहिता का उल्लंधन न हो। यदि अत्याचारी उत्पात से रुकने का आश्वासन दे तों युद्ध तुरन्त रोक देने का आदेश है।**

   "जो लोग तुम से युद्ध करते है उनसे ईशमार्ग में युद्ध करो **मगर (युद्ध में) सीमाओं (आचार संहिता) का उल्लंधन न करो।** क्योंकि ईश्वर सीमा उल्लंघन करने वालों को पसन्द नहीं करता। इन (अत्याचारियों को) जहां पाओ क़त्ल करो और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से उन्हें निकाल बाहर करो क्योंकि यह उत्पात हत्या से अधिक बुरा है... **परन्तु यदि वे (उत्पात फैलाने और दीन के विषय में तुम पर ज़बरदस्ती करने से) रुक जाएं तो अल्लाह ग़लतियों को ढकने वाला दयालू है।** तुम उनसे युद्ध किये जाओ यहाँ तक कि उत्पात शेष न रहे और दीन केवल अल्लाह के लिये हो। **परन्तु अगर वे (उत्पात करने और दीन के विषय में तुम पर ज़बरदस्ती करने से) रुकन का आश्वासन दें तो यह जान लो कि दण्ड अत्याचारियों के सिवा और किसी के लिये नहीं है।** (यानी तुम भी उन्हें दण्ड देने या मारने से रुक जाओ)"। (कु. 2:190 से 193)

2. **संधि को युद्ध पर प्राथमिकता है। यदि युद्ध के बीच भी दुश्मन सेना की ओर से संधि का प्रस्ताव आए और उनसे पूर्व में कोई ऐसी संधि न हुई हो जिस का उन्होंने उल्लंघन किया हो) तो चाहे मुस्लिम सेना का पलड़ा भारी हो तब भी संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।**

"यदि वह संधि की ओर अग्रसर हों तो तुम भी **संधि को प्राथमिकता दो** और ईश्वर पर विश्वास करो क्योंकि वह सब की सुनता और जानता है और **फिर यदि उनका आशय तुमसे विश्वासघात करने का भी होगा तो (तुम इस संभावना पर संधि से न हटो) ईश्वर तुम्हारे लिये पर्याप्त है...**"। (कु. 8:61,62)

3. **युद्ध के बीच यदि कोई ऐसा दुश्मन सैनिक शरण माँगे जो उसी समय गिरफ़्तार या हताहत हाने वाला न हो तो उसे शरण देने के बाद इस्लाम की शिक्षाएं ठीक से समझा कर उसे वहाँ पहुँचा दो जहाँ वह स्वयं को सुरक्षित समझे। फिर वह स्वेच्छा से चाहे तुम्हारे साथ आए चाहे शत्रुओं में जा मिले।**

"और यदि (युद्ध के वातारण में तुम से संधि तोड़ने वाले) मुशरिकीन में से कोई व्यक्ति तुम्हारी शरण की प्रार्थना करे तो उसको शरण दो यहाँ तक कि वह ईश्वर का कलाम सुन समझ ले फिर उसको उसके शान्ति के स्थान पर वापस पहुंचा दो। ऐसा इस कारण से है कि यह लोग (इस्लाम की) वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं"। (कु. 9:6)

कुरआन शरीफ़ ने युद्धावस्था में भी सीमाओं का उल्लंघन न करने का जो आदेश दिया था उसको स्पष्ट करते हुए ईशदूत ह. मुहम्मद स. ने निम्न नियमों को अपने अनुयायियों के लिये लागू किया।

1. **युद्ध में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और मज़दूरों की हत्या न की जाए।** (यहां यह बात विचारनीय है कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े या मज़दूर युद्ध स्थल पर क्या कर रहे थे? वे चाहे सैनिक न भी हों, सेना की किसी न किसी रूप में सहायता के लिये ही तो आए होंगे फिर भी उन पर शस्त्र उठाने को मना किया)।

2. कोई फलदार वृक्ष नहीं काटा जाए। फ़सल नहीं उजाड़ी जाए।

3. जो सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध में सम्मिलित हों केवल उनसे युद्ध किया जाए। अन्य लोग जो अपने घरों में हैं और युद्ध के लिये नहीं निकले उनसे युद्ध में विजय के उपरान्त दुर्व्यवहार नहीं किया जाए।

4. शत्रु के धार्मिक स्थलों को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाए।

**ऐसी आचार संहिता की मिसाल इस्लाम के अतिरिक्त किसी धर्म में नहीं मिलती** और न आज भी कहीं युद्ध में इतने उदार नियमों का पालन किया जाता है। इसके विपरीत व्यवहार में **माना तो यह जाता है कि युद्ध में सब जायज़ है।**

## कुछ अन्य धर्मों की युद्ध संबंधी शिक्षाएं :

### ईसाई धर्म :

> "तुम ने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। किन्तु मैं तुम से कहता हूँ दुष्ट का विरोध मत करो वरन जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके आगे दूसरा भी फेर दो"। (मत्ती 5:38, 39)

जब किसी पर आक्रमण हो या किसी देश में पद्दलित सहायता की गुहार लगा रहे हों तो इस संबंध में कोई निर्देश ईसाई मत में नहीं है और उपरोक्त शिक्षा व्यवहारिक भी नहीं है। **ईसाई बहुसंख्यक देश यीशु के इस आदेश की अवहेलना के लिये सदा ही बाध्य रहे हैं।**

## सनातन धर्म ः

सनातन धर्म में युद्ध संबंधी स्पष्ट निर्देश गीता और वेदों में हैं। यहाँ हमें कुरआन और हदीस के समान युद्ध की कोई आचार संहिता नहीं मिलती। इन निर्देशों को मानव समाज के प्रारंभिक काल की परिस्थितियों के परिपेक्ष में देखना चाहिये वरना बहुत भ्रान्तियाँ उत्पन्न होसकती हैं।

### गीता में युद्ध का निर्देश :

गीता का धर्मयुद्ध (जिहाद) अधिकार प्राप्ति के लिये है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं —

> "मेरे हाथ से गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है. मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है तथा मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं. युद्ध में अपने स्वजनों को मार कर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूं. हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं और न राज्य तथा न सुखों को ही. हे गोविन्द, हमें ऐसे राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या लाभ है? क्योंकि वे सब लोग, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, धन और जीवन की आशा त्यागकर युद्ध के लिए खड़े हैं. हे मधुसूदन कृष्ण, गुरुजन, ताऊओं, चाचाओं, पुत्रों, पितामहों, मामाओं, श्वसुरों, पोतों, सालों तथा अन्य सम्बन्धियों को, मुझपर प्रहार करने पर भी, मैं मारना नहीं चाहता. तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है"?
> (गीता 1:30 से 35)

श्री कृष्ण ने उत्तर दिया —

"अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कैसे प्राप्त हुई? यह श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है तथा यह न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न कीर्ति देने वाला ही है. इसलिए हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो. यह तुम्हें शोभा नहीं देता. हे शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन, तुम अपने मन की इस दुर्बलता को त्यागकर युद्ध करो". (गीता 2:2, 3)

"हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा सदा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए". (गीता 2:30)

"और अपने स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है. और यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं करोगे, तब अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे". (गी. 2:31, 33)

"हे पृथानन्दन, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग के खुले हुए द्वार जैसा है, जो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है. युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे; इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ".
(गी. 2:32, 37)

**वेद में युद्ध के निर्देश :**

धर्मयुद्ध (जिहाद) में धन जीतने या शत्रुओं (स्वामी दयानन्द के अनुसार 'वेद निन्दकों') के संहार संबंधी कुछ वेद मंत्र निम्न में उद्धरित हैं।

"शत्रु लोग निहत्ते होजाएं, उनके अंगों को हम शिथिल करते हैं। फिर हे इन्द्र उनके सब धनों को सैकड़ों प्रकार से हम बाँट लें"। (अथर्ववेद 6:66:3)

"ह इन्द्र... शत्रुओं में डर उत्पन्न करिये। वे हार कर भाग जाएं और उनका गाएं आदि धन हमें मिल जाए"। (अथर्ववेद 6:67:3)

"तू (वेद निन्दक को)[1] काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे"। (अथर्ववेद 12:5:62)

"उस (वेद विरोधी)[2] के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले, उसके मांस के टुकड़ों को बोटी-बोटी कर दे, उसकी नसों को ऐंठ दे। उसकी हड़िडयां मसल डाल, उसकी मींग निकाल दे। उसके सब अंगों को ढीला और जोड़ों को ढीला कर दे"। (अथर्ववेद 12:5:68 से 71)

# युद्ध संबंधी आदेशों का अप्रासंगिक दुरोपयोग :

## भ्रान्तियाँ फैलाने वालों की बेईमानी :

इस्लाम में युद्ध केवल शान्ति स्थापना के लिये है जिसके लिये इतनी कड़ी शर्तें और कठोर आचार संहिता है जिसकी मिसाल किसी अन्य धर्म ग्रन्थ में नहीं मिलती। कुछ लोग और कुछ संगठन कुरआन की युद्ध संबंधी आयतों को प्रसंग से काट कर और उनमें साथ ही स्मरण कराए गए नैतिक निर्देशों को छिपा कर अधूरे उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिये निम्न कथित

---

[1] ब्रैकेट (कोष्ठक) के अन्दर के शब्द वेद के आर्य समाजी भाष्य के अनुसार हैं।
[2] ब्रैकेट (कोष्ठक) के अन्दर के शब्द वेद के आर्य समाजी भाष्य के अनुसार हैं।

आदेश पर नज़र डालें जो तथाकथित आपत्तिजनक आयत सूची में लगभग अवशय ही होता है।

> "इनको जहाँ पाओ क़त्ल करो तुम उनसे युद्ध किये जाओ यहां तक कि दीन केवल अल्लाह के लिये हो"। (कु. 2:191,193)

अब प्रसंग के साथ असली आयतें जिनमें उपरोक्त शब्द भी हैं।

> "जो लोग तुम से युद्ध करते है उनसे ईशमार्ग में युद्ध करो मगर (युद्ध में भी) सीमाओं का उल्लंधन न करो। क्योंकि ईश्वर सीमा-उल्लंघन करने वालों को पसन्द नहीं करता। (युद्ध क्षेत्र में) **इन** (अत्याचारियों) **को जहाँ पाओ क़त्ल करा और** जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से उन्हें निकाल बाहर करो क्योंकि यह उत्पात हत्या से अधिक बुरा है... परन्तु यदि वे (उत्पात फैलाने और दीन के विषय में तुम पर ज़बरदस्ती करने से) रुक जाएं तो अल्लाह ग़लतियों को ढकने वाला दयालू है। **तुम उनसे युद्ध किये जाओ यहाँ तक कि** उत्पात शेष न रहे और **दीन केवल अल्लाह के लिये हो।** परन्तु अगर वे (उत्पात करने और दीन के विषय में तुम पर ज़बरदस्ती करने से) रुकने का आश्वासन दें तो यह जान लो कि दण्ड अत्याचारियों के सिवा और किसी के लिये नहीं है। (यानी तुम भी उन्हें दण्ड देने या मारने से रुक जाओ)"।
> (कु. 2:190 से 193)

मोटे अक्षरों वाले शब्दों को जोड़ कर वह कथित आयत बनती है जो ऊपर दर्शाई गई और जिसे विरोधी प्रस्तुत करते हैं। कोई केवल प्रसंग से काट भर दे, बात कुछ से कुछ होजाती है, यहाँ तो आयत में काट छाँट भी की जाती है। गीता का विषय आध्यात्मिक शान्ति है। यदि कोई केवल उन्हीं श्लोकों को जो इस पुस्तिका में उद्धरित हैं, गीता की मूल शिक्षा बता कर प्रस्तुत करे और अन्य लोग गीता पढ़े बिना विश्वास करलें तो यह माना जाएगा कि गीता बिना

किसी दया के सिंहासन लेने के लिये सगे संबंधियों से युद्ध करने का उपदेश देती है। उसमें भी यदि बहुत थोड़ी सी काट छाँट और करदी जाए तो गीता के युद्ध के मात्र दो उद्देश्य रह जाते हैं, सिंहासन और कीर्ति।

> यह (युद्ध से बचना) कीर्ति देने वाला साधन नहीं है. इसलिए हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो. यह तुम्हें शोभा नहीं देता. हे शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन, तुम अपने मन की इस दुर्बलता को त्यागकर युद्ध करो". (गीता 2:2, 3)

> "हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा सदा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए. क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है. और यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे, तब कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे. युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे; इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ". (2:30 से 37)

**यदि प्रसंग को समझने का प्रयास न किया जाए तो गीता को कठोर निर्दयतां का ग्रंथ बताने के लिये एक ही श्लोक पर्याप्त है।**

> "हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा सदा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए". (गीता 2:30)

वेद में प्राणिमात्र से प्रेम की अनेकों अमूल्य शिक्षाएं हैं।

> "मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे" (यजुर्वेद 36:18) हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें।

"माजीवेभ्यः प्रमदः" (अथर्व. 8:1:7) प्राणियों की ओर से बेपरवाह न हो।

इन सुन्दर शिक्षाओं के साथ निम्न वेद मन्त्र पढ़ें।

"वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह प्रदह संदह" (अथर्व. 12:5:62) तू काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे"।

यदि मानव समाज के आदिकाल की युद्ध की परिस्थितियों से इसे काट दें तथा ऊपर उद्धरित प्रेम संबंधी शिक्षाओं को छिपालें तो यही कुछ कहा जाएगा कि वेद हिंसा फैलाते हैं, अमानवीय पशु पृवृत्ति के सूचक हैं, इन पर प्रतिबंध लगादो... आदि।

## परस्पर शत्रुता, ध्येय में एकता !

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कुरआन के साथ अन्याय में हिंदू व **मुसलमान अतिवादी गुट एकमत हैं**। दोनों कुरआन की आयतो को प्रसंग से काट कर यह प्रचार करते हैं कि काफ़िरों[3] की हत्या करना कुरआन के अनुसार जिहाद है जिसके पुण्यस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

---

[3] काफ़िर शब्द की व्याख्या के लिये हमारा प्रकाशित फ़ोलडर **'आप स्वयं काफ़िर'** मुफ़्त मंगवाएं।

For more information please contact at:
9990655899, 9718981039, 9250608410
mail: delhiworkchapter@gmail.com


रौशनी पब्लिशिंग हाउस
बाज़ार नसरुल्लाह ख़ाँ, रामपुर उ०प्र०

Designed & Printed by:
Humam Publications
2074, 2nd Floor, Nahar Khan Street, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110002
Mob.; +91 9811200621, E- mail: humampublications@ gmail.com

Rs. 28/-